न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 52 / 2023

GCMS No. : 2023/91

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. संजय चौधरी पुत्र श्री अनिल चौधरी मैसर्स वेरायटी इण्डस्ट्रीज एफ 206 4Th फेज रिको सरदार संमद रोड पाली (फर्म मेनेजर) 2. इन्द्रा चौधरी पत्नी श्री अनिल चौधरी मैसर्स वेरायटी इण्डस्ट्रीज एफ 206 4Th फेज रिको सरदार संमद रोड पाली (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 4.7.2024

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 21.11.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वेरायटी इण्डस्ट्रीज एफ 206 4Th फेज रिको सरदार संमद रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम मनीष चौधरी बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया। फैक्ट्री का निरीक्षण करने पर पाया कि डेयरी में रखे फ्रिज में लगभग 30–35 पनीर रखा हुआ था जो आमजन को बेचने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु पनीर का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि पनीर का नमुना वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 01 किलो पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 300/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा पनीर को खाली सुखे चार सुटेबल कंटेनर में बराबर भागो में भरकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1570 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–1570 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1989/एक्ट/2022/1989 दिनांक 25.11.2022 के अनुसार Sub-Standard पाया गया, जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub standards पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने वक्त बहस निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हमारी फैक्ट्री से पनीर का नमुना लिया गया था। वर्तमान में हमारी फैक्ट्री में पनीर का उत्पादन नही किया जाता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फैक्ट्री से लिया गया पनीर का नमुना में केवल फैट के अलावा कोई कमी नही पायी गयी है। फैक्ट्री में पनीर बनाने में उपयोग किया जाने वाला दुध ग्रामीण क्षैत्रों से एकत्रित किया जाता है जिससे फैट में अन्तर आ जाता है। जिसमें अप्रार्थीगण की कोई गलती नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अप्रार्थीगण के फैक्ट्री से लिया गया पनीर का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1570 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थीगण की प्लांट से वास्ते जांच लिये गये पनीर का नमुना कोड संख्या आर–1570 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

अप्रार्थीगण के प्लांट से लिया गया पनीर का नमुना अवमानक स्तर (Sub-standards) पाया गया। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) पनीर का उत्पादन एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 4/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner